सर्वोच्च प्राथमिकता / NEET

संख्याः– 1090/71–2–16–127/2011

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.महानिदेशक,
चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2016

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2016–17 में एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 की प्रवेश परीक्षा National Eligibility cum Entrance Test (NEET) के माध्यम से प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत ही हैं कि WRIT PETITION (C) NO.261 OF 2016 SANKALP CHARITABLE TRUST AND ANR. VS. UNION OF INDIA AND ORS. में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09 मई, 2016 तथा दिनांक 24 मई, 2016 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश (संख्या–4/2016) के कम में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 की प्रवेश परीक्षा National Eligibility cum Entrance Test (NEET) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय अधिसूचना संख्या–2328/71–2–2016–81/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा लेते हुए भारत सरकार को सूचित किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-I एवं NEET-II के परीक्षाफल के आधार पर प्रदेश के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के (राजकीय एवं निजी क्षेत्र) शैक्षणिक सत्र–2016–17 में प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः

1. **सत्र 2016–17 में प्रदेश के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यकमों में प्रवेश की सम्पूर्ण प्रकिया में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को *"तकनीकी संस्था "*के रूप में अधिकृत किया जाता है। उक्त तकनीकी संस्था की जिम्मेदारी निम्नानुसार होंगीः–**
   - प्रदेश के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यकमों में NEET के माध्यम से काउंसिलिंग एवं प्रवेश हेतु आन–लाईन पंजीकरण (On line registration) व्यवस्था की स्थापना, जिसमें डेटा कैप्चर (Data Capture) फोटा अपलोड (Photo upload) एवं शुल्क भुगतान (Fee Payment) की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

13027
BDE/A03
11/08

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की देख–रेख में उक्त पंजीकरण एवं सी0बी0एस0ई0 द्वारा जारी परीक्षाफल के आधार पर श्रेणीवार मेरिट लिस्ट तैयार करना।
- आन–लाईन व्यवस्था के माध्यम से सभी सम्बन्धित सूचनाओं का (प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की सूचना, काउंसिलिंग हेतु अर्हताएँ, काउंसिलिंग की प्रक्रिया, प्रवेश हेतु अर्हताएँ, आरक्षण आवेदन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रपत्र, इत्यादि) व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थियों से बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करना तथा उसके आधार पर त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था को लागू करना।

3– सत्र 2016–17 हेतु काउंसिलिंग एवं काउंसिलिंग के पूर्व उपरोक्तानुसार आन–लाईन पंजीकरण (Online registration) के सम्बन्ध में प्रस्तावित/अनुमानित समय–सारणी (Time line) निम्नवत् होगी :–

आन–लाईन पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	दिनॉक 12.08.2016
NEET परीक्षाफल घोषित होने की तिथि	दिनॉक 17.08.2016
आल–इण्डिया काउंसिलिंग प्रथम चक्र	दिनॉक 21.08.2016
उत्तर प्रदेश में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट का प्रकाशन	दिनाकँ 28.08.2016
प्रदेश स्तरीय काउंसिलिंग प्रथम चक्र (आल–इण्डिया प्रथम चक्र समाप्त होने पर निर्भर)	दिनॉक 29.08.2016
आल–इण्डिया काउंसिलिंग द्वितीय चक्र	15 सितम्बर तक पूर्ण होने की सम्भावना।
प्रदेश स्तरीय काउंसिलिंग द्वितीय चक्र (आल–इण्डिया द्वितीय चक्र समाप्त होने पर निर्भर)	15 एवं 30 सितम्बर के मध्य प्रस्तावित।
माप–अप–राउण्ड	28/29 सितम्बर (प्रस्तावित)
प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	30 सितम्बर, 2016 (एम0सी0आई0 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित)

4– शैक्षणिक सत्र 2016–17 में एम0बी0बी0एस0/बी.डी0एस0 पाठ्यक्रम में *<u>काउंसिलिंग</u>* (Counselling) हेतु अर्हताएँ निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

"मात्र ऐसे छात्र, जिन्होंने NEET परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा निर्धारित आन–लाईन व्यवस्था के माध्यम से पंजीकृत किया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। इस प्रकार से प्रदेश के समस्त निजी एवं राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आन–लाईन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में केवल वेब–साईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिन्ट–आउट अनुमन्य होगा।"

5— गत वर्षों की भाँति राजकीय मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को उ0प्र0 का **"मूल निवासी"** होना आव यक होगा। **मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप तथा इसकी अर्हताएँ गत वर्ष की भाँति यथावत् रहेंगी।** अभ्यर्थियों को इस संबंध में काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष आन–लाईन पंजीकरण व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी प्रारूपों पर मूल निवास प्रमाण–पत्र / सामान्य निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त अभिलेखों के प्रमाणित छायाप्रतियों की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। **प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सीटों में प्रवेश हेतु मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।**

6— सत्र 2016—17 में राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हताएँ गत् वर्षों की भाँति निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः—

i. **निवासः—** राजकीय मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में गैर राजकीय कोटा की सीटों में मूल निवासी अनिवार्य नहीं होगा।

ii. **आयु सीमाः—** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 31 दिसम्बर, 1999 के पूर्व हुआ हो।

iii. **NEET:—** प्रदेश के समस्त एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को **NEET** परीक्षाफल सूची में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

iv. **आन–लाईन पंजीकरण :—** मात्र ऐसे छात्र जिन्होंने **NEET** परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा निर्धारित आन–लाईन व्यवस्था के माध्यम से पंजीकृत किया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

v. **शैक्षिक अर्हताः—** इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप / जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी अर्ह होंगे। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के रेग्यूलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन–1997 के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया तथा डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत् हैः—

a) सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में औसत 50 प्रतिशत तथा

सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7— **शैक्षणिक** सत्र 2016—17 में एम0बी0बी0एस0/बी.डी0एस0 पाठ्यक्रम में काउंसिलिंग हेतु **शुल्क रू0—800/—प्रति छात्र प्रति चक्र** निर्धारित की जाती है, जिसमें से रू0—300/—तकनीकी संस्था को बायोमेट्रिक एवं प्रबन्धन शुल्क के रूप में देय होगी। काउंसिलिंग शुल्क के साथ धरोहर धनराशि के रूप में रू0—5000/— भी निर्धारित की जाती है, जिसका भुगतान काउंसिलिंग के समय किया जा सकेगा।

8— **प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा संस्थानों/राजकीय मेडिकल कालेजों/वि0वि0 तथा प्राइवेट मेडिकल कालेजों आदि में शैक्षणिक सत्र 2016—17 के लिए एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 की प्रवेश परीक्षा National Eligibility cum Entrance Test (NEET) के माध्यम से प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्व रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा समय—समय पर कृत कार्यवाही की जानकारी शासन को उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाये।**

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या — (1)/71—2—16—127/2011— तद्दिनांक —

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. Shri. Amit Biswas **Under Secretary to the Govt. of India** Ministry of Health & Family Welfare (ME-II Section) Nirman Bhavan, New Delhi.
2. Assistant Director General (ME) **Directorate General of Health Services**, Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
3. DEPUTY SECRETARY (EXAM), **NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST UNIT** CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, SHIKSHA KENDRA, 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 092
4. Dr. (Mrs.) Reena Nayyar, Additional Secretary (Secretary I/C) Medical Council of India **Pocket- 14 , Sector - 8, Dwarka Phase -1 , New Delhi-110077**
5. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय/समाज कल्याण/कार्मिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।

10. कुलपति, समस्त चिकित्सा वि0वि0, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशि0)
13. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशि0)
14. समस्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा संस्थान, उ0प्र0।
15. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा वि0वि0, लखनऊ।
16. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशि0)
17. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशि0)
19. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. निजी सचिव, समस्त वि0सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
21. चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
22. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।